टी.पी.एस. मान, नयायाधिपती के सामने,

कर्नल. (सेवानिवृत्त) दलजीत सिंह और अन्य, -याचिकाकर्ता

बनाम

एम.सी. चंडीगढ़ और अन्य, -प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी. 1999 का क्रमांक 11956

22 दिसंबर, 2008

भारत का संविधान, 1950-**अनुच्छेद** 226—**पंजाब नगरपालिका अधिनियम**, 1911—**पंजाब नगरपालिका (कार्यकारी अधिकारी) अधिनियम**, 1931—**अनुसूची** 1, **धारा** 4—**फ्री होल्ड आधार पर एससीएफ का आवंटन—याचिकाकर्ताओं को आवंटन बेचना—याचिकाकर्ता किश्तें जमा करने में विफल रहे - साइट के आत्मसमर्पण के लिए अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया - कार्यकारी अधिकारी साइट के पुनःआरंभ का आदेश दे रहा है - अधिनियम के प्रावधान कहीं भी यह संकेत नहीं देते हैं कि साइट को पुनःआरंभ करने की शक्ति अधिसूचित क्षेत्र समिति के पास निहित है और ऐसी शक्ति कार्यकारी अधिकारी को सौंपी जा सकती है - केवल एन ए सी के अध्यक्ष ही पुनःआरंभ का आदेश पारित करने के लिए सक्षम हैं - कार्यकारी अधिकारी के आदेश को शुरू से ही अमान्य माना गया - कार्यकारी अधिकारी द्वारा भूखंड के पुनःआरंभ का आदेश और आयुक्त द्वारा अपील को खारिज करने के आदेश को रद्द कर दिया गया।**

निर्धारित किया कि नगर पालिका की कार्यकारी शक्ति कार्यकारी अधिकारी में निहित है। इन कार्यकारी शक्तियों में प्रदत्त शक्तियां और निहित कार्यों पर लगाए गए कर्तव्य, और अनुसूची 1 में उल्लिखित अधिनियम की धाराओं के तहत समिति को प्रस्तुत की जाने वाली आपत्तियां और नोटिस शामिल हैं। अधिनियम की अनुसूची 1 में डी गई अधिनियम की विभिन्न धाराओं पर एक नजर कहीं भी यह संकेत नहीं देती है कि किसी साइट को पुनरारंभ करने की शक्ति समिति के पास निहित है और इसलिए, ऐसी शक्ति कार्यकारी अधिकारी को सौंपी जा सकती है। इसके अलावा, "समिति" को कार्यकारी अधिकारी अधिनियम की धारा 2 (बी) में नगर पालिका या अधिसूचित क्षेत्र की एक समिति,जैसा भी हो, के रूप में भी परिभाषित किया गया है, जिस पर इस अधिनियम का विस्तार किया गया था। फ़ाइल में यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि साइट को पुनरारंभ करने की शक्ति समिति के पास निहित है, अध्यक्ष के पास नहीं। ऐसी स्थिति में, किसी कार्यकारी अधिकारी के पक्ष में किसी समिति द्वारा अपनी शक्ति का कोई भी प्रतिनिधि मंडल ऐसे कार्यकारी अधिकारी को आगे बढ़ने और बहाली का आदेश पारित करने का अधिकार नहीं देता है। आवंटन पत्र की धारा 10 के तहत केवल समिति के अध्यक्ष ही बहाली का आदेश पारित करने के लिए सक्षम थे, अन्य कोई नहीं। उपरोक्त के मद्देनजर, यह माना जाना चाहिए कि अधिसूचित क्षेत्र समिति, मनी माजरा के कार्यकारी अधिकारी द्वारा भूखंड को पुनःआरंभ करने का आदेश देते समय पारित आदेश शुरू से ही अमान्य था। परिणामस्वरूप, प्रश्नगत साइट को पुनःआरंभ करने का आदेश कानून की नजर में अस्तित्वहीन माना जाता है।

(पैरा 9)

अशोक अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता और जी.एस. ढिल्लों, अधिवक्ता याचिकाकर्ताओं के लिए।
सुश्री दीपाली पुरी, प्रतिवादियों की वकील।

टी.पी.एस. मान, नयायाधिपती (मौखिक)

(1) एस.सी.एफ. नंबर 1006, मोटर मार्केट, मनी माजरा, पत्र दिनांक 23 नवंबर, 1989 द्वारा(अनुलग्नक पी-1) अश्वनजीत सिंह जोसन को फ्री होल्ड आधार पर आवंटित किया गया था। आवंटन पत्र के खंड 3 के अनुसार,. आवंटी को 25% के हिसाब से 1,67,500 रुपये बयाना राशि सहित साइट की लागत का भुगतान करना पड़ा। शेष 75% लागत, उस पर प्रति वर्ष 10% की दर से ब्याज सहित, 2,01,000 रुपये की तीन वार्षिक समान किस्तों में देनी थी। पहला भुगतान 20 अगस्त 1990 को हुया। आवंटन पत्र के खंड 7 में प्रावधान है कि जिस महीने में यह देय हुआ, यदि उसके अगले महीने की 10 तारीख तक किस्त का भुगतान नहीं किया गया था, तो आवंटी को शो कॉज़ नोटिस द्वारा किश्त जमा करने के लिए कहा जाएगा और यह कारण बताने को भी कहा जाएगा की किश्त की रकम पर उससे 15% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज क्यों नहीं ली जानी चाहिए। आबंटिती द्वारा शॉ कॉज़ नोटिस की शर्तों का पालन करने में विफल रहने की स्थिति में, समिति के अध्यक्ष बिना किसी अन्य सूचना के भूखंड को पुनःआरंभ करने के लिए कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। हालाँकि, अध्यक्ष के पास प्रति वर्ष 15% की दर से दंडात्मक ब्याज के साथ किस्त के भुगतान के लिए छह महीने तक की अवधि देने का अधिकार था।

यदि आवंटी या अंतरिती कुछ बाध्यकारी परिस्थितियों के कारण साइट को सरेंडर करना चाहता है, खंड 10 में प्रावधान था कि इस तरह के अनुरोध को समिति के अध्यक्ष की पूर्व अनुमति से अनुमति दी जानी थी और आत्मसमर्पण के लिए हथौड़े के गिरने पर भुगतान की गई लागत के 25% की राशि में से 10% को जब्त किया जाना था।

(2) उपरोक्त आवंटी अधिसूचित क्षेत्र समिति, मणि माजरा से पूर्व अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद याचिकाकर्ताओं के पक्ष में प्रश्नगत साइट को बेचने के लिए सहमत हुए। इसके अनुसरण में, समिति ने विचाराधीन साइट को 27 जून, 1990 को याचिकाकर्ताओं के नाम स्थानांतरित कर दिया । ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता पहली किश्त 2,01,000 रुपये जो 20 अगस्त, 1990 को बकाया थी, 10 सितंबर 1990 तक की छूट अवधि के भीतर भी नहीं चुका सके। तदनुसार, उन्हें शो कॉज़ नोटिस दिनांकित 8 दिसंबर, 1990 दिया गया जिसमे उन्हें किस्त जमा करने के लिए कहा गया ओर शो कॉज़ नोटिस जारी करने से 30 दिनों के भीतर विलंबित अवधि के लिए दंडात्मक ब्याज भरने को कहा गया। 31 मार्च 1991 को एक और नोटिस, जिस में उन्हें 15 दिनों के भीतर बकाया राशि के साथ विलंबित अवधि के लिए दंडात्मक ब्याज का भुगतान करने के लिए आदेश दिया गया था और 2 अप्रैल, 1991 को सुबह 10.00 बजे समिति के कार्यालय में, कार्यकारी अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा। लेकिन याचिकाकर्ता ऐसा करने में विफल रहे। इसके बाद 25 अप्रैल, 1991 को अंतिम नोटिस जारी किया गया, जिसमें याचिकाकर्ताओं को 15 दिनों के भीतर विलंबित अवधि के लिए दंडात्मक ब्याज के साथ पहली किस्त का भुगतान जमा करने और 10 मई, 1991 को सुबह 10.30 बजे कार्यकारी अधिकारी के सामने उपस्थित होने के लिए कहा गया। लेकिन उसके बाद भी स्थिति वही बनी रही। इस बीच, 20 अगस्त, 1991 को 2,01,000

रुपये की दूसरी वार्षिक किस्त भी बकाया हो गए। तदनुसार, समिति ने याचिकाकर्ताओं को 22 नवंबर, 1991 को फिर से 15% प्रति वर्ष की दर से 28 नवंबर, 1991 तक विलंबित अवधि के लिए दंडात्मक ब्याज के साथ पहली और दूसरी किस्त जमा करने का नोटिस दिया लेकिन उक्त भुगतान नहीं किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता अपने निवेश से निराश हो गए और तदनुसार, साइट को आत्मसमर्पण करने के लिए 24 जून, 1992 को एक आवेदन प्रस्तुत किया। कार्यकारी अधिकारी, अधिसूचित क्षेत्र समिति, मनी माजरा ने अपने आदेश दिनांक 3 जुलाई, 1992 (अनुलग्नक पी-2) द्वारा साइट के आत्मसमर्पण के लिए याचिकाकर्ताओं के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि आत्मसमर्पण के लिए अनुरोध आवंटन पत्र के खंड 10 के प्रावधानों के तहत कवर नहीं किया गया था। इसके बाद कार्यकारी अधिकारी ने संबंधित साइट को पुनःआरंभ कर दिया और आवंटियों/याचिकाकर्ताओं द्वारा पहले ही जमा की गई पूरी राशि जब्त कर ली। इसी बात से व्यथित, याचिकाकर्ताओं ने एक अपील (अनुलग्नक पी-3) दायर की जिसे आयुक्त, नगर निगम, चंडीगढ़ ने 15 जून, 1999 के आदेश (अनुलग्नक पी-4) द्वारा खारिज कर दिया। याचिकाकर्ताओं द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत वर्तमान रिट याचिका दायर करके उपरोक्त आदेश अनुलग्नक पी-2 और पी-4 को चुनौती दी गई है।

(3) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि दिनांक 23 नवंबर, 1989 के आवंटन पत्र के खंड 7 के अनुसार (अनुलग्नक) पी-1), केवल समिति का अध्यक्ष ही प्लॉट की बहाली हेतु कार्रवाई करने में सक्षम था। इसके बजाय, यह समिति के कार्यकारी अधिकारी थे, जिन्होंने बहाली का विवादित आदेश पारित किया था जिसे आयुक्त द्वारा अपील में बरकरार रखा गया। इस प्रकार, प्रश्न में साइट को पुनःआरंभ करने में

उत्तरदाताओं की कार्रवाई शुरू से ही अमान्य थी और इसलिए, विवादित आदेश अनुलग्नक पी-2 और पी-4 रद्द किए जाने योग्य हैं।

(4) प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि 10 मई, 1990 को अधिसूचित क्षेत्र समिति, मणि माजरा द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) जो पंजाब नगरपालिका (कार्यकारी अधिकारी) अधिनियम, 1931 (संक्षेप में 'कार्यकारी अधिकारी अधिनियम' के लिए) की अनुसूची-1 में शामिल किया गया है के विभिन्न प्रावधानों के तहत समिति की शक्तियां शामिल थीं, जो कार्यकारी अधिकारी को सौंपा गई है। इसलिए, ऐसा कार्यकारी अधिकारी बहाली के विवादित आदेश को पारित करने में सक्षम था।

(5) पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना गया और पक्षों की दलीलों पर गौर किया गया।

(6) आगे बढ़ने से पहले, आवंटन पत्र (अनुलग्नक पी-1) के खंड 7 का उल्लेख करना उचित होगा जो निम्नानुसार है: -

*"**7.** यदि किस्त का भुगतान देय माह के अगले महीने की 10 तारीख तक नहीं किया जाता है, तो शॉ कॉज़ नोटिस जारी किया जाएगा, जिसमें आवंटी को किस्त जमा करने के लिए कहा जाएगा और यह भी बताया जाएगा कि क्यों प्रति वर्ष 15% दंडात्मक ब्याज ना लगाया जाए और उससे किश्तों की रकम नहीं वसूली जानी चाहिए। यदि वह शॉ कॉज़ नोटिस की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, तो समिति के अध्यक्ष बिना किसी अन्य सूचना के भूखंड पुनःआरंभ करने के लिए कार्रवाई करेंगे। हालाँकि,*

असाधारण परिस्थितियों में, अध्यक्ष 15% प्रति वर्ष की दर से दंडात्मक ब्याज के साथ किस्त के भुगतान के लिए विस्तार दे सकते हैंपरंतु छह महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं।"

(7) आवंटन के नियमों और शर्तों को ध्यान में रखते हुए, केवल समिति के अध्यक्ष ही एलॉटी/ट्रांसफरी द्वारा किस्त के भुगतान में किसी भी चूक की स्थिति में भूखंड को पुनःआरंभ करने के लिए कार्रवाई करने के लिए सक्षम थे। याचिकाकर्ताओं का रुख यह है कि अधिनियम के तहत कार्यकारी अधिकारी द्वारा पारित आदेश द्वारा साइट को पुनःआरंभ करने की अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है। कार्यकारी अधिकारी न तो आवंटन पत्र में नामित प्राधिकारी था और न ही ऐसा कोई अधिकारी अधिनियम के तहत बहाली की शक्ति प्राप्त कर सकता था। प्रतिवादियों के विद्वान वकील अधिनियम में किसी भी प्रावधान को इंगित करने में सक्षम नहीं हैं जो कार्यकारी अधिकारी को बहाली का आदेश पारित करने की अनुमति देता है। दूसरी ओर, प्रतिवादी द्वारा 10 मई, 1990 के संकल्प (अनुलग्नक पी-5) पर भरोसा किया गया है, जिसके तहत कार्यकारी अधिकारी अधिनियम की अनुसूची- 1 में निहित अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत समिति की शक्तियां कार्यपालक पदाधिकारी को सौंपी गई तजी। संकल्प इस प्रकार है:-

"प्रस्ताव पर विचार किया गया और समिति ने सर्वसम्मति से कार्यकारी अधिकारी अधिनियम, 1931 की अनुसूची- I में निहित पंजाब नगरपालिका अधिनियम, 1911 के विभिन्न प्रावधानों के तहत समिति की शक्तियों के प्रत्यायोजन को अपनी मंजूरी दे दी।"

(8) कार्यकारी अधिकारी अधिनियम की धारा 4 कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों को परिभाषित करती है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:-

"4. कार्यकारी अधिकारी की शक्तियाँ.-किसी नगर पालिका या अधिसूचित क्षेत्र में, जैसा भी मामला हो, जिसमें एक कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है-
(ए) नगरपालिका के प्रशासन को चलाने के उद्देश्य से कार्यकारी शक्ति, इस अधिनियम के प्रावधानों और इस अधिनियम के तहत या नगरपालिका अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, कार्यकारी अधिकारी में निहित होगी,
(बी) अनुसूची 1 में उल्लिखित नगरपालिका अधिनियम की धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियां और उस पर लगाए गए कर्तव्य, निहित कार्य और प्रस्तुत की जाने वाली आपत्तियां और समिति को दिए गए नोटिस का प्रयोग या प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, पर निविदा दी जाएगी या समिति को दी जाएगी, लेकिन इसका प्रयोग किया जा सकता है या उसके द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा, या निहित होगा, या * निविदा दी जाएगी या कार्यकारी अधिकारी को दी जाएगी, बशर्ते कि-

(i) नगरपालिका अधिनियम की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कार्यकारी अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा और समिति द्वारा किसी अधिकारी या सेवक की उस पद पर नियुक्ति के संबंध में प्रयोग किया जा सकता है जिसके लिए मासिक पारिश्रमिक रु. 25 से अधिक है और किसी अधिकारी या सेवक को हटाने या बर्खास्त करने की शक्ति के संबंध में जिसका मासिक पारिश्रमिक रुपये 49 से अधिक है बशर्ते कि यदि समिति

द्वारा ऐसा करने की आवश्यकता हो तो कार्यकारी अधिकारी किसी कर्मचारी को बर्खास्त कर देगा;

(ii) नगरपालिका अधिनियम की धारा 65 द्वारा प्रदत्त मूल्यांकन और मूल्यांकन को संशोधित करने की शक्ति और नगरपालिका अधिनियम की धारा 67 के उप-खंड (1) द्वारा प्रदत्त मूल्यांकन सूची में संशोधन करने की शक्ति का प्रयोग उप-समिति द्वारा किया जाएगा जिस मे कार्यकारी अधिकारी और इस प्रयोजन के लिए समिति द्वारा नियुक्त समिति के दो सदस्य शामिल होंगे ;

(iii) नगरपालिका अधिनियम की धारा 121, 122 में निर्दिष्ट किसी भी व्यापारी या उद्देश्य के लिए लाइसेंस के अनुदान को रोकने या नगरपालिका अधिनियम की धारा 124 के तहत लिखित अनुमति को रोकने के लिए उपनियमों को समिति द्वारा संशोधन के अधीन बनाया जा सकता है;

(iv) कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रदत्, अधिरोपित या निहित किसी भी शक्ति, कर्तव्य या कार्य का प्रयोग या निर्वहन, ऐसे प्रतिबंधों, सीमाओं और शर्तों के अधीन होगा जो नगरपालिका अधिनियम के तहत समिति द्वारा ऐसी शक्ति, कर्तव्य या कार्य के प्रयोग या निर्वहन पर राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी नियम द्वारा लगाए जा सकते हैं।

(सी) नगरपालिका अधिनियम को अनुसूची II में निर्धारित तरीके से संशोधित माना जाएगा;

(डी) नगरपालिका अधिनियम की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समिति द्वारा इस अधिनियम से असंगत कोई उपनियम नहीं

बनाया जाएगा और यदि ऐसे कोई उपनियम बनाए गए हैं तो उन्हें जिस सीमा तक वे असंगत हैं रद्द कर दिया गया माना जाएगा।;

(ई) यदि धारा 188, 189 या 197 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समिति द्वारा बनाए गए किसी भी उपनियम में या हैकनी कैरिज अधिनियम, 1879 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में बनाए गए किसी नियम में, यह प्रदान किया जाता है कि समिति द्वारा नोटिस दिया जाएगा या लाइसेंस दिया जाएगा, ऐसे उप-कानून या नियम को संशोधित माना जाएगा ताकि नगरपालिका अधिनियम के तहत बनाए गए उपनियमों या इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अधीन ऐसा नोटिस कार्यकारी अधिकारी को दिया जाएगा या ऐसा लाइसेंस दिया जाएगा।"

(9) नगर पालिका की कार्यकारी शक्ति कार्यकारी अधिकारी में निहित है। इन कार्यकारी शक्तियों में प्रदत्त शक्तियां और निहित कार्यों पर लगाए गए कर्तव्य, और अनुसूची I में उल्लिखित अधिनियम की धाराओं के तहत समिति को प्रस्तुत की जाने वाली आपत्तियां और नोटिस शामिल हैं। अधिनियम की विभिन्न धाराओं पर एक नजर उपर्युक्त अधिनियम की अनुसूची I में कहीं भी यह संकेत नहीं दिया गया है कि किसी साइट को पुनःआरंभ करने की शक्ति समिति के पास निहित है और इसलिए, ऐसी शक्ति कार्यकारी अधिकारी को सौंपी जा सकती है। इसके अलावा, कार्यकारी अधिकारी अधिनियम की धारा 2 (बी) में "समिति" को नगर पालिका या अधिसूचित क्षेत्र की एक समिति के रूप में भी परिभाषित किया गया है, जैसा भी मामला हो, जिस पर इस अधिनियम का विस्तार किया गया था। फ़ाइल में यह दिखाने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि साइट को पुनःआरंभ करने की शक्ति समिति के पास निहित है, अध्यक्ष के पास नहीं। ऐसी स्थिति में, किसी कार्यकारी अधिकारी के पक्ष में किसी समिति द्वारा

अपनी शक्ति का कोई भी प्रतिनिधिमंडल ऐसे कार्यकारी अधिकारी को आगे बढ़ने और बहाली का आदेश पारित करने का अधिकार नहीं देता है। आवंटन पत्र के खंड 10 के तहत केवल समिति के अध्यक्ष ही बहाली का आदेश पारित करने के लिए सक्षम थे, अन्य कोई नहीं। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाना चाहिए कि अधिसूचित क्षेत्र समिति, मनी माजरा के कार्यकारी अधिकारी द्वारा भूखंड को पुनःआरंभ करने का आदेश देते समय पारित आदेश अनुबंध पी-2, शुरू से ही अमान्य था। परिणामस्वरूप, प्रश्नाधीन साइट का आदेश या पुनः आरंभ कानून की नजर में अस्तित्वहीन माना जाता है।

(10) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि 26 अगस्त, 2003 को, इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को पक्षों के अधिकारों और तर्कों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उत्तरदाताओं को बकाया भुगतान की पेशकश करने की अनुमति दी थी और इस तरह के आदेश से याचिकाकर्ताओं का पक्ष मे कोई निष्पक्षता नहीं बनेगी। इसके अनुसरण में, उत्तरदाताओं ने अपने वकील के माध्यम से याचिकाकर्ताओं को खातों का विवरण सौंपा और कुल बकाया राशि, जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा मांगी गई थी, 24% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ विधिवत जमा कर दी गई। नगर निगम, चंडीगढ़ द्वारा कुल 7,11,000 रुपये की राशि के दो भुगतान आदेशों को जमा करने से संबंधित 21 फरवरी, 2007 को जारी की गई रसीद की फोटोकॉपी।, पहले ही याचिकाकर्ताओं द्वारा सी.एम. 2007 की संख्या 4113, जिसे 13 मार्च, 2007 को अनुमति दी गई थी दायर करके रिकॉर्ड पर रखा जा चुका है। इस तथ्य को उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने स्वीकार किया है।

(11) परिणामस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार कर ली जाती है। याचिकाकर्ताओं की अपील को खारिज करते हुए, कार्यकारी अधिकारी द्वारा पारित आदेश, अनुलग्नक पी-2, विचाराधीन साइट को पुनःआरंभ करने और, आयुक्त द्वारा पारित आदेश अनुलग्नक पी-4 को रद्द कर दिया जाता है। चूंकि याचिकाकर्ताओं ने पहले ही ब्याज सहित पूरी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है, जैसा कि उत्तरदाताओं ने स्वीकार किया है, विचाराधीन साइट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में बहाल हो जाएगी।

<u>अस्वीकरण :</u> स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सृष्टि
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
कुरूक्षेत्र, हरियाणा

कर्नल. (सेवानिवृत्त) दलजीत सिंह और अन्य बनाम एम.सी. चंडीगढ़ और अन्य (टीपीएस मान, नयायाधिपती)